

राजनीतिका अपराधीकरण

प्रलिमिस के लिये:

एमिक्स क्यूरी, जनप्रतनिधित्व कानून, राजनीतिका अपराधीकरण।

मेन्स के लिये:

राजनीतिके अपराधीकरण का कारण, प्रभाव और समाधान।

चर्चा में क्यों?

न्याय मतिर (*Amicus Curiae*) द्वारा संकलति आँकड़ों के अनुसार, 1 दिसंबर, 2021 तक देश भर की वभिन्न अदालतों में वधियकों से जुड़े कुल 4,984 आपराधिक मामले लंबति थे।

- न्याय मतिर (*Amicus Curiae*) को सख्तीय न्यायालय ने सांसदों और वधियकों के खलिफ मामलों की तवरति सुनवाई हेतु वशिष अदालतें स्थापित करने में मदद के लिये नमिकृत किया था।
- यह प्रवृत्ति [राजनीतिके अपराधीकरण](#) की बढ़ती घटनाओं को उजागर करती है।
- न्याय मतिर (*शाब्दिक रूप से "अदालत का मतिर"*) वह व्यक्ति होता है जो किसी मामले में पक्षकार नहीं होता है तथा जो मामले में मुद्दों पर असर डालने वाली जानकारी, वशिषज्ज्ञता या अंतरदृष्टिप्रदान करके अदालत की सहायता करता है।

राजनीतिका अपराधीकरण:

- इसका अर्थ राजनीतिमें अपराधियों की बढ़ती भागीदारी से है, जिसमें अपराधी चुनाव लड़ सकते हैं और संसद तथा राज्य वधियकिए के सदस्य के रूप में चुने जा सकते हैं।
- यह मुख्य रूप से राजनेताओं और अपराधियों के बीच साँठगाँठ के कारण होता है।

आपराधिक छविके उम्मीदवारों की अयोग्यता का कानूनी पहलू:

- भारतीय संविधान में संसद या वधिनसभाओं के लिये चुनाव लड़ने वाले किसी आपराधिक प्रवृत्तिके व्यक्तिकी अयोग्यता के विषय में उपबंध नहीं किया गया है।
- [लोक प्रतनिधित्व अधनियम, 1951](#) में वधियकिए का चुनाव लड़ने के लिये किसी व्यक्तिको अयोग्य घोषित करने के मानदंडों का उल्लेख है।
 - इस अधनियम की धारा 8 ऐसे दोषी राजनेताओं को चुनाव लड़ने से नहीं रोकती है जिन पर केवल मुकदमा चल रहा है और दोष अभी सदिध नहीं हुआ है। इस बात से कोई फरक नहीं पड़ता कि उन पर लगा आरोप कितना गंभीर है।
 - इस अधनियम की धारा 8(1) और 8(2) के अंतर्गत प्रावधान है कियदिकोई वधियकिए सदस्य (सांसद अथवा वधियक) हत्या, बलातकार, आतंकवादी गतविधियों में शामिल होने जैसे अपराधों में लपित है, तो उसे इस धारा के अंतर्गत अयोग्य माना जाएगा एवं 6 वर्ष की अवधिके लिये अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

अपराधीकरण का कारण:

- कार्यान्वयन का अभाव: राजनीतिमें अपराधीकरण को रोकने के लिये बने कानूनों और नियमों के कार्यान्वयन की कमी के कारण इसमें बहुत मदद नहीं मिली है।
- संकीरण स्वार्थ: राजनीतिक दलों द्वारा चुने गए उम्मीदवारों के संपूर्ण आपराधिक इतिहास का प्रकाशन बहुत प्रभावी नहीं हो सकता है, क्योंकि मतदाताओं का एक बड़ा हसिसा जातिया धरम जैसे सामुदायिक हतियों से प्रभावित होकर मतदान करता है।
- बाहुबल और धन का उपयोग: गंभीर आपराधिक पृष्ठभूमियों वाले उम्मीदवारों के पास अक्सर धन और संपदा काफी अधिक मात्रा में होती है, इसलिये वे दल के चुनावी अभियान में अधिक-से-अधिक पैसा खर्च करते हैं और उनकी राजनीतिमें प्रवेश करने तथा जीतने की संभावना बढ़ जाती है।

- इसके अतरिक्त कभी-कभी तो मतदाताओं के पास कोई वकिलप नहीं होता है, क्योंकि सभी प्रतयोगी उम्मीदवार आपराधिक प्रवृत्ति के होते हैं।

SC LEADS FIGHT TO CLEAN UP POLLS

CASES THAT LED TO THE RULINGS

2002 SC directs all candidates to file affidavit detailing their criminal antecedents, educational qualification and details of their assets. Upholds voters' right to know about a candidate's antecedents to make an informed choice (Association of Democratic Reforms)



July | 2013 SC quashes provision in Representation of the People Act that allowed MPs and MLAs to continue their membership in a House by merely filing appeal against their conviction and sentence of more than two years in a higher court. This meant MPs and MLAs would be disqualified immediately on conviction and sentence of more than 2 years. (Lily Thomas and Lok Prahar case)

Sept SC asks EC to provide 'none of the above' choice to voters to exercise their right to express no confidence against all candidates in fray

(People's Union for Civil Liberties)

Mar | 2014 SC orders trial courts to hold day-to-day trial in criminal cases pending against sitting MPs and MLAs and complete it within one year from framing of charges

Aug SC recommends to PM/CMs not to include persons, against whom charges have been framed in serious offences, in their council of ministers (Manoj Narula)

Mar | 2016 SC refers to 5-judge Constitution bench whether framing of charge in heinous crimes (which entails imprisonment of five years or more) against an MP or MLA would disqualify him. This also meant—whether a person against whom charges framed in serious offences be debarred from contesting elections (Public Interest Foundation)



प्रभाव:

■ स्वतंत्र और नषिपक्ष चुनाव के सदिधांत के वरिदधः

- यह एक अच्छे उम्मीदवार का चुनाव करने के लिये मतदाताओं की पसंद को सीमित करता है।
- यह स्वतंत्र और नषिपक्ष चुनाव के लोकाचार के खलिफ है जो कलिकत्तर का आधार है।

■ सुशासन पर प्रभाव:

- परमुख समस्या यह है कि कानून तोड़ने वाले ही कानून बनाने वाले बन जाते हैं, इससे सुशासन स्थापित करने में लोकतांत्रिक प्रक्रिया की प्रभावकारता प्रभावित होती है।
- भारतीय लोकतांत्रिक प्रणाली में यह प्रवृत्तियों के संस्थानों की प्रकृति तथा विधिका के चुने हुए प्रतनिधियों की गुणवत्ता की खराब छविको दर्शाती है।

■ लोक सेवकों के कार्य पर प्रभाव:

- इससे चुनावों के दौरान और बाद में काले धन का प्रचलन बढ़ जाता है, जिससे समाज में भ्रष्टाचार बढ़ता है तथा लोक सेवकों के काम पर असर पड़ता है।

■ सामाजिक भेदभाव को बढ़ावा:

- यह समाज में हस्ती की संस्कृतिको प्रोत्साहित करता है और भावी जनप्रतनिधियों के लिये एक गलत उदाहरण प्रस्तुत करता है।

आगे की राह

- चुनाव सुधार पर बनी वभिन्न समितियों (दनिश गोस्वामी, इंद्रजीत समति) ने राज्य द्वारा चुनावी खरच वहन कथि जाने की सफिरशि की, जिससे काफी हद तक चुनावों में काले धन के उपयोग पर अंकुश लगाने में मदद मिली और प्रणालमस्वरूप राजनीतिको अपराधीकरण को सीमित कथि जा सकेगा।
- एक स्वच्छ चुनावी प्रक्रिया हेतु राजनीतिक पार्टियों के मामलों को वनियमित करना आवश्यक है, जिसके लिये निरिवाचन आयोग (Election Commission) को मजबूत करना ज़रूरी है।

- मतदाताओं को चुनाव के दौरान धन, उपहार जैसे अन्य प्रलोभनों के प्रति सितरक रहने की आवश्यकता है।
- भारत के राजनीतिक दलों की राजनीति के अपराधीकरण और भारतीय लोकतंत्र पर इसके बढ़ते हानकारक प्रभावों को रोकने के प्रति अनिच्छा को देखते हुए यहाँ के न्यायालयों को अब गंभीर आपराधिक प्रवृत्तियाले उम्मीदवारों के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाने जैसे फैसले पर विचार करना चाहयि।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

PDF Reference URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/criminalization-of-politics-2>

